



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 727]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 808(अ).—यतः, मै. न्यू फाउंड प्रोपर्टीज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य में ट्रांस थाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, थाणे जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2094(अ) दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के 21.26 हेक्टेयर क्षेत्र अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. न्यू फाउंड प्रोपर्टीज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 1.76 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 3 जनवरी, 2017 के पत्र सं. एसईजेड-2014/सी.आर-133/2015/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.76 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **1.76 हेक्टेयर**

के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 19.50 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित प्लॉट संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्र. सं.	प्लॉट सं.	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	जेन-2/1/ई (भाग)	1.76
	कुल	1.76
उपर्युक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल		19.50

[फा. सं. एफ.2/95/2005-एस.ई.जेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 808(E).—Whereas, M/s. Newfound Properties and Leasing Pvt. Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Trans Thane Creek Industrial Area, MIDC, District Thane in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 21.26 hectares area at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 2094(E) dated 22nd August, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Newfound Properties and Leasing Pvt. Ltd has now proposed for de-notification of 1.76 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2014/CR-133/2015/Ind-2, dated 03rd January, 2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.76 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 1.76 hectares**, thereby making resultant area as **19.50 hectares**, comprising the Plot numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S. No.	Plot numbers	Area to be de-notified (in Hectares)
1.	GEN-2/1/E (Part)	1.76
	Total	1.76
Total Remaining Area of SEZ after above deletion		19.50

[F. No. F.2/95/2005-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.